

वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन किये जाने का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग, एन0एच0-30 (पुराना एन0एच0-24), किमी0 267-268 में मध्य, चैनेज 267.640, ग्राम गौसगंज सराय, तहसील फरीदपुर पर नियो स्टार रियेल्टी प्रा0 लि0 एवं रोहिलखण्ड प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय कॉलोनी ओम रेसिडेन्सी के सम्पर्क में प्रभावित 0.4368 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों की कार्योपरान्त अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत आवेदित वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

उल्लंघन करने वाली संस्था/कम्पनी का नाम/पद तथा पता- डॉयरेक्टर, नियो स्टार रियेल्टी प्रा0 लि0 एवं रोहिलखण्ड प्रोजेक्टस प्रा0 लि0, सी-31,32 कृष्णा जानकी प्लेस, रामपुर गार्डन, बरेली।

उल्लंघन का प्रकार- सम्पर्क मार्ग का पक्का निर्माण कार्य।

उल्लंघन कब से है- वर्ष 2013-14।

उल्लंघन से प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल- 0.095 हे0।

उल्लंघन के लिये जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण- उल्लंघन का प्रकरण प्रकाश में आते ही सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी एवं उल्लंघन को समाप्त करते हुए वन अपराध सं0 5/फरीदपुर/2019-20 दर्ज कर ई-3 सं0 3555/29, दिनांक 23.

09.2019 से प्रतिकर 50,000 प्राप्त किया गया तथा भूमि को मूल स्वरूप में लाया गया।

वर्तमान में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन की स्थिति- सम्पर्क मार्ग क्षेत्रफल 0.095 हे0 संरक्षित वन भूमि में किया गया निर्माण कार्य को ध्वस्त कर उल्लंघन को समाप्त किया गया एवं भूमि को मूल स्वरूप में लाया गया।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज


(भारत लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली।

उप प्रभागीय वनाधिकारी (शॉवला)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली